


13



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी, रा10 म0 ग्वालियर,  
प्रकरण कं.0 /14 निगरानी R-1929-J/14

- 1- करणसिंह पिता आत्माराम, जाति कीर आयु 45 वर्ष
- 2- नारायण पिता धुलाजी जाति कीर, आयु 68 वर्ष,
- 3- रेशमबाई पिता धुलाजी जाति कीर, आयु 52 वर्ष,  
निवासी ग्राम खण्डोदा तह0 बडनगर जिला उज्जैन

—आवेदकगण

श्री. एम. 3.4998 8/14  
द्वारा आज दि. 30.6.14 को  
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

पीरा पिता रामाजी जाति बलाई, आयु 53 वर्ष,  
निवासी ग्राम खण्डोदा तहसील बडनगर जिला उज्जैन

—अनावेदक

निगरानी आवेदन धारा 50 भू0 रा10 सं0

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बडनगर  
द्वारा प0 कं0 10-अ-70/2013-14 मे पारित

आदेश दिनांक 23/06/2014 से असंतुष्ट एवं क्षुब्ध होकर निगरानी ।

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की और से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, अनावेदक पीरा ने एक आवेदन पत्र धारा 250 भू0 रा10 सं0 का आवेदकगण के विरुद्ध न्यायालय तहसील बडनगर मे प्रस्तुत किया है उक्त आवेदन मे भूमि सर्वे कं0 272 रकबा 482 हेक्टर मे से 1.10 जरीब बरूख दक्षिणी भाग के संबंध मे सहायता चाही गई है । आवेदकगण करणसिंह की भूमि सर्वे कं0 271 रकबा 5.67 का बन्दोबस्त पूर्व सर्वे कं0 152 रकबा 6.552 था तथा बन्दोबस्त कार्यवाही के बाद उक्त सर्वे कं0 271 के रकबे मे से 0.88 हेक्टर रकबा त्रुटिवश कम हो गया जिसके संबंध मे आवेदक द्वारा विधिवत कार्यवाही तहसील न्यायालय मे की गई जो प्रकरण कं0 105/अ-6-अ/2009-10 पर दर्ज हुई उक्त प्रकरण मे आवेदक व अनावेदक दोनो पक्षो को सुनकर प्रकरण का निराकरण दिनांक 09/09/2011 को कर तहसील न्यायालय ने आदेश पारित करते हुवे आवेदक की

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

7

प्रकरण क्रमांक - R1929/E/14

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी <sup>गाम्बत हकीम शाह</sup> <del>गाम्बत हकीम शाह</del> के प्रकरण क्रमांक 10/31-20/13-14 में पारित आदेश दिनांक 23.6.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <del>गाम्बत हकीम शाह</del> उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.18 को <del>गाम्बत हकीम शाह</del> उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	